आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
09/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 59/12** **शिव रतन राय बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 1905 दिनांक 14.6.12 के विरूद्ध दायर किया गया है। यह माननीय उच्च न्यायालय, पटना सी.डब्ल्यू.जे.सी सं0 6399/2014 में पारित आदेश दिनांक 11.8.14 के आलोक में संबंधित दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनाक 26.5.12 को अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल (प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मशरक एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पानापुर) के द्वारा शिवरतन राय, जनिप्रवि, अनुज्ञप्ति सं0 19/07, ग्राम- मदारपुर, प्रखंड–अमनौर की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के क्रम में पायी गयी अनियमितता इस प्रकार है: 1. निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दूकान बंद पायी गयी एवं विक्रेता दूकान से अनुपस्थित थे। 2. व्यापार स्थल के बाहर पॉच ड्राम किरासन तेल लगभग 900 लीटर रखा पाया गया, जिस पर न तो विक्रेता का नाम और न ही पता अंकित किया गया था। 3. आपके दुकान से सबद्व उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया कि 2..5 लीटर किरासन तेल 42..00 रूपया में वितरण किया जाता है एव बी.पी.एल. योजना में 8 किलोग्राम गेहूँ एवं 12 किलोग्राम चावल का दर 140.00 रूपया लेकर खाद्यान्न देने की बात कही गयी है। 4. उपभोक्ताओं के द्वारा यह भी बयान दिया गया कि कैशमेमो नहीं दिया जाता है। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 1100 दिनांक 31.5.12 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब	

के साथ कागजातों को भी प्रस्तुत किया गया। जॉच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन एवं विश्लेषणोपरान्त बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001, बिहार राज्य कूपन योजना 2006, अनुज्ञप्ति की शर्तो, विभागीय दिशा निर्देशों के उल्लघन एवं जन वितरण प्रणाली की सामग्री के उठाव एवं वितरण मे अनियमितता बरतने के आलोक में विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि विकेता प्रतिदिन सुबह 7.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक दूकान खोलता एवं बंद करता है। दिनांक 26.5.12 को विकेता अपना दूकान खोलकर सूचनापट्ट इत्यादि अद्यतन कर एफ.सी.आई. गोदाम, मढ़ौरा रोस्टर के अनुसार (छायाप्रति संलग्न) खाद्यान्न उठाव हेतु चला गया था। इसकी जानकारी जन वितरण प्रणाली के दूकान की सूचनापट्ट पर अंकित करने के पश्चात् विकेता मढ़ौरा गया था। इस कारण जॉच की तिथि को दूकान बंद थी। विकेता के व्यापार स्थल के बरामदा में ही किरासन तेल पॉच ड्राम में 902 लीटर किरासन तेल था, जो व्यापार स्थल में ही आता है और पॉचों ड्रामों पर विकेता का नाम, पता एवं अनु0 सं0 अंकित था। ड्राम गिराकर रखने के कारण निरीक्षी पदाधिकारी को दिखाई नहीं दिया हो। विकेता के दूकान से सबद्व उपभोक्ताओं को 2.75 लीटर किरासन तेल की आपूर्ति कूपन के आधार पर किया जाता था, जिसका मूल्य 42 रूपया लिया जाता था। माह के अंत में उपभोक्ताओं से प्राप्त कूपन कार्यालय अमनौर में जमा कर दिया करता था। इस प्रकार 2.5 लीटर किरासन तेल की आपूर्ति किए जाने और 42 रूपया मूल्य लेने का आरोप निराधार एवं गलत है। जहॉ तक बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को 08 किलो ग्राम गेहूँ एवं 12 किलोग्राम चावल आपूर्ति किए जाने का आरोप है वह गलत है। विकेता के दूकान से संबद्व उपभोक्ताओं को 10 किलो ग्राम गेहूँ एवं 15 किलोग्राम चावल की आपूर्ति की जाती थी। निर्धारित मात्रा में एवं निर्धारित दर पर दिया जाता था। इसके प्रमाण स्वरूप विकेता के दूकान से संबंधित विक्रय पंजी की छायाप्रति संलग्न किया गया है। जहॉ तक कैशमेमो निर्गत नहीं किए जाने का आरोप है, इसके संबंध में बतलाया गया कि दूकान से संबद्व उपभोक्ताओं को नियमित कैशमेमो दिया जाता था, जिसकी छायाप्रति संलग्न की गयी है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विकेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तो, विभागीय दिशा–निर्देशों के

उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा Speaking order पारित नहीं किया गया है। यह उचित होता कि विक्रेता को उनकी दुकान से संबंधित पंजी एवं अन्य कागजात के साथ बुलाकर उनकी सुनवाई की जाती और यदि उनके कागजातों के संधारण में कोई अनियमितता पायी जाती, तो आवश्यक कार्रवाई की जाती, किन्तु अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा पारित आदेश में शिकायत करने वाले व्यक्तियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे लगाया गया आरोप पुष्ट नहीं होता है। ऐसे में इस मामले को पुनः जाँचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1043 दिनांक 12/12/14

प्रतिलिपिः—अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।
12/12/14